पत्र संख्या–स्था–2–विभागीय व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम/2025–26/ 1750 /राज्य कर।

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 10/07 2025

// आदेश //

राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 4 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में **OFFENCES AND PENALITIES** विषय पर प्रस्तावित आफलाइन पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम **दिनांक 14.07.2025 से 18.07.2025** तक प्रस्तावित है, जिसमें प्रतिभाग करने हेतु निम्न **DC & AC ADJUDICATION** स्तर के अधिकारियों को नामित किया जाता है:–

S.N.	EMPID	NAME	DES.	OFF_NAME	MOBILE
1.	112092	Ashok Kumar-VII	DC	DC Paliakalan,Khori	9005269877
2.	100952	Ashok Kumar Gupta-II	DC	DC Sector -1, Amethi (CSJM Nagar)	9458286089
3.	124696	Ashok Kumar Singh-VIII	DC	DC Sector -12,Agra	7235001763
4.	125121	Amar Deep Verma	DC	DC Sector -16,Lucknow	8979255777
5.	125812	Ahmad Yasser	DC	DC Sector -2,Bahraich	9911314400
6.	123944	Anil Kumar-X	DC	DC Sector -2,Ballia	7235003031
7.	124541	Ashish Kumar Pandey	DC	DC Sector -3,Bareilly	9838866999
8.	123668	Pratap Singh Yadav	DC	DC Sector -3,Bulandshahar	7235003066
9.	124571	Arvind Narayan Saxena	DC	DC Sector -3,Prayagraj	8707328006
10.	122772	Anil Harit	DC	DC Sector -7,Lucknow	9910364743
11.	124586	Abhishek Kumar Shah	DC	DC Sector -1,Gautam Budh Nagar	9451714771
12.	124530	Jitendra Kumar-III	DC	DC Sector -4,Bareilly	9450904696
13.	124626	Prabhas Kumar	DC	DC Sector -14,Noida	9415646529
14.	123946	Avinash Azad	DC	DC Sector -11,Ghaziabad	7235002961
15.	124014	Yogendra	DC	DC Sector -10,Aligarh	9839233924
16.	112072	Bajrangi Yadav	DC	DC Sector -3,Ballia	8004481808
17.	124485	Amit Aggarwal	AC	AC Nanpara,Bahraich	9452463302
18.	125459	Arunesh Kumar Singh	AC	AC Sector -11,Aligarh	7235001764
19.	125462	Amit Kumar Srivastava	AC	AC Sector -13,Agra	9721788119
20.	125084	Amit Kumar-I	AC	AC Sector -16,Varanasi	9456862032
21.	125143	Narendra Yadav	AC	AC Sector -2,Deoband	9161282882
22.	124491	Arvind Kumar Singh-III	AC	AC Sector -2,Hardoi	8445276709
23.	125416	Rajeev Kumar Rai	AC	AC Sector -2,Raibareli	9415667323
24.	126146	Abhay Singh-II	AC	AC Sector -2,Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	9450816795
25.	126150	Akbar Husen	AC	AC Sector -2,Varanasi	9649256846
26.	125663	Shekhar Singh Rathoor	AC	AC Sector -20,Agra	9369421698
27.	124731	Ajay Kumar Pandey-II	AC	AC Sector -24,Kanpur	9651888306
28.	126936	Mohammad Danish	AC	AC Sector -3,Bahraich	9717871639
29.	124732	Amit Tiwari	AC	AC Sector -3,Ghaziabad	7376334725
30.	125779	Mahendra Kumar Singh	AC	AC Sector -3,Kanpur	9415108335
31.	125868	Amit Singh	AC	AC Sector -4,Ghaziabad	8004611900
32.	125738	Ajay Kumar-VI	AC	AC Sector -6,Lucknow	9838032245
33	125701	Ambuj Singh	AC	AC Sector -7,Meerut	9005067176
34.	125922	Anil Kumar Dinkar	AC	AC Sector -7,Saharanpur	9540733988
35.	125653	Nityanand Mani Tiwari	AC	AC Sector -8,Bareilly	9453354132
36.	125090	Pooja Dwivedi	AC	AC Sector -10,Prayagraj	9415062627
37.	124871	Sarika Singh	AC	AC Sector -3,Muzaffarnagar	7235002177
38.	125101	Isha Gautam Ms.	AC	AC Sector Modinagar,Ghaziabad	9411461846
39.	125492	Sudhir Gautam	AC	AC Sector -1,Sonbhadra	9425812152
40.	125479	Shivendra Jaiswal	AC	AC Sector -22,Kanpur	9810156307

प्रशिक्षण में अधिकारी की उपस्थिति प्रशिक्षण संस्थान में आने के उपरान्त दिनांक **14.07.2025** से ही मान्य होगी। उक्त नामित अधिकारी अनिवार्य रूप से अपर निदेशक (प्रशिक्षण) राज्य कर, विभूति खण्ड प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ, के कार्यालय में प्रत्येक दशा में **दिनांक 14.07.2025 को प्रातः 9.30 बजे** उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी। नामित अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा ।

नामित अधिकारी प्रशिक्षणोपरान्त अपने वर्तमान तैनाती/सम्बद्धता के स्थान पर अपने नियन्त्रक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगें। **अधिकारियों के अपेक्षित कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो निम्नानुसार हैः–**

- कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकताएं प्रातः 9 बजे से मध्यान्ह 12 बजे तक पूर्ण कर लेनी होगी। इसके उपरांत किसी भी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
- प्रशिक्षण अवधि में हॉस्टल में आवंटित कक्ष को अपनी इच्छा से बदलने की किसी अधिकारी को अनुमति नहीं होगी ।
- अधिकारियों को अपने कमरे में अतिथियों (परिवार के सदस्यों, मित्रों, पति/पत्नी या कोई अन्य) को बुलाने एवं ठहराने की अनुमति नहीं है। अतः प्रशिक्षण संस्थान में योगदान देने के समय कृपया अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को न लायें ।
- संस्थान में अधिकारियों को अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्हें हमेशा औपचारिक/शालीन पहनावे में रहना होगा ।
- अधिकारियों के खान–पान की व्यवस्था संस्थान की मेस में रहेंगी। मेस में भोजन का व्यय अधिकारियों को वहन करना होगा। हॉस्टल के कक्षों में खाना बनाना/मंगाना निषिद्ध है। मेस में अतिथियों को भोजन हेतु सामग्री लाना वर्जित होगा।
- प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग निषिद्ध है। प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान जिन अधिकारियों के पास मोबाईल फोन पाया जायेगा उसे जब्त कर लिया जायेगा तथा ऐसे अधिकारियों पर संस्थान द्वारा उचित जुर्माना भी आरोपित किया जायेगा।
- प्रशिक्षण संस्थान में जिन अधिकारियों को मद्यपान, सिगरेट या तम्बाकू आदि का सेवन करते हुए पाया जायेगा या जिनके पास ऐसी निषिद्ध सामग्री पायी जायगी उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही सम्बन्धित नियम के तहत अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
- प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि में अपर निदेशक (प्रशिक्षण) एवं अन्य संकाय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा। विपरीत दशा में दोषी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करने पर विचार किया जायेगा ।
- प्रशिक्षण में प्रतिभाग न करने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में मुख्यालय के आदेश सं0 4905 दि0 15.03.2018 के प्रस्तर 'ग' के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।
- यह आदेश आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(धनन्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, राज्य कर अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर निदेशक राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त राज्य कर उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने जोन में तैनात अधिकारी को अपने स्तर से भी नामित करने का कष्ट करें।
5. ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. संबन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को सूचनार्थ।
7. कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) राज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि EIMS MODULE पर उक्त आदेश प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

(श्वेता सिंह)
उपायुक्त (स्था0राज0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।